CNR-UPLL010005652026

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.) ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी- सुनील सिंह,

उच्चतर न्यायिक सेवा -UP06456

जमानत आवेदन सं० 174/2026

इमरान उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री नूरमुहम्मद खां, निवासी मु० लवानपुरा कस्बा जखौरा, थाना जखौरा, जिला ललितपुर।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

स्टेट ऑफ यूपी

...अभियोगी/विपक्षी।

मु०अ०सं०-304/2025

अन्तर्गत धारा- 115(2), 351(3), 352, 105 बीएनएस,

थाना जखौरा, जिला ललितपुर।

16.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 174/2026, आवेदक/अभियुक्त इमरान उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री नूरमुहम्मद खां की ओर से मु०अ०सं०-304/2025 अन्तर्गत धारा-115(2), 351(3), 352, 105 बीएनएस, थाना जखौरा, जिला ललितपुर में जमानत हेतु उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय, माननीय सत्र न्यायाधीश, जनपद ललितपुर के आदेशानुसार अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध सहअभियुक्तगण सहित वादी जमुनाप्रसाद द्वारा दिनांक 23.11.2025 को उसकी लड़की की शादी में बारात के समय बारात जीरौन, जिला निवाड़ी म०प्र० से उसके घर डैय्यनपुरा जखौरा आते समय रात्रि 11 बजे बग्गी की लाईट की डोरी कट गयी, लाईट चले जाने पर बारातियों ने इरशाद से बग्गी की लाईट जोड़ने को कहा, जिस पर इरशाद, इमरान व राशिद व अजमेरी ने वादी के रिश्तेदार सागर को गाली देते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की। मुकेश रैकवार व हरदास रैकवार ने बीच-बचाव किया तो उन्हें भी मारापीटा, जान से मारने की धमकी दी। मारपीट से सभी को चोटे आयीं, जिसमें मजरूब सागर का ईलाज ग्वालियर अस्पताल हुआ और मजरूब सागर की ग्वालियर अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। वादी की तहरीर पर उपरोक्त मु०अ०सं० 304/2025 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस पंजीकृत हुआ, फिर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 105 बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर बहस की गई है कि अभियुक्त बेगुनाह एवं बेकसूर है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चुटैल सागर के साथ कोई भी मारपीट नही की है और न ही मारपीट से उसकी मृत्यु हुयी है। वादी मुकदमा ने झूठी रिपोर्ट

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.03.18 16:59:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत करा दी गयी है, जबकि अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, विलम्ब का कोई भी कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं वादी के बयान मे काफी विरोधाभाष है। इस कारण भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। तथाकथित भीड भाड वाले इलाके का दर्शाया गया है, लेकिन कोई भी स्वतन्त्र साक्षी न होना घटना को संदिग्ध प्रतीत बनाता है। तथाकथित घटना भीड-भाड़ वाले इलाके का है, लेकिन पुलिस द्वारा विवेचना मे स्पष्ट रोल किसी भी अभियुक्त का अंकित नही किया गया है किस अभियुक्त के द्वारा चुटैल के साथ मारपीट की गयी है और न ही घटना के सम्बन्ध मे मौके पर किसी भी अभियुक्त के फिंगर प्रिन्ट लिये गये है इस कारण भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। दौरान विवेचना विवेचक के द्वारा जो भी साक्षीगण दिखाये गये है उन सभी साक्षीगणो के बयानों में काफी विरोधाभाष है और किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्त ने चुटैल के साथ मारपीट करने का कथानक अंकित नही किया गया है। इस कारण भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। फर्द बरामदगी मे किसी भी स्वतन्त्र साक्षी के हस्ताक्षर नही है इस कारण जो फर्द बरामदगी बनायी गयी है वह पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत होती है। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से किसी भी प्रकार की लाठी-डण्डा की बरामदगी नहीं हुयी है, मात्र अभियुक्त के कब्जे से मात्र 110 रू० की बरामदगी हुयी है। अभियुक्त आवेदक पूर्णतः निर्दोष है उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। चुटैल अत्यधिक शराब के नशे में था और डांस करते वक्त किसी नुकीले पत्थर पर गिर गया और गिर जाने के कारण चोटें आयी है, इन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुयी है। चुटैल व अभियुक्त के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद पूर्व से नही था और न ही अभियुक्त, चुटैल को जानता व पहचानता है क्योकि चुटैल बाहर जीरोन जिला निवाडी म०प्र० का निवासी है और अभियुक्त जनपद ललितपुर के कस्वा जखौरा का निवासी है। अभियुक्त/आवेदक पूर्णतः निर्दोष व्यक्ति है। मृतक के शरीर पर कोई भी गम्भीर चोटें मेडीकल परीक्षण के दौरान नहीं पायी गयी है। जब अभियुक्तगण वीडियो में लाठी लेकर आते हुये दिख रहे है, उससे पहले मृतक जमीन पर गिरा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई भी मारपीट मृतक के साथ नहीं की गयी है, अभियुक्त को उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा ने झूठा फंसा दिया है। अभियुक्त इमरान पुत्र नूर मुहम्मद खां विवाह स्थल पर एवं अन्य अभियुक्तगणों का विवाह में बग्गी घोड़ा व टेन्ट का ठेका था और जब टीका द्वाराचार आदि कार्य पूर्ण होने के बाद घोडे व बग्गी का अभियुक्तगण द्वारा 5000/-रू० किराया मांगा गया तो वादी मुकदमा द्वारा रूपये देने से इन्कार किया गया उसी रंजिश के कारण अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसा दिय गया है जबकि अभियुक्त व उनके साथियो द्वारा कोई घटना कारित नही की गयी है। तथाकथित घटना रात्रि की बतायी जाती है, लेकिन रात्रि मे किसी भी साक्षी द्वारा अपने बयानो मे स्पेशिफिक रोल अंकित नही किया गया है कि किस अभियुक्त द्वारा मारपीट की गयी है इस कारण भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियुक्त जिले के स्थाई निवासी है उनकी चल अचल सम्पत्ति जिले में स्थित है उनके भागने अथवा फरार होने की कोई सम्भावाना नही है। अभियुक्त के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है और न ही अभियुक्त की मारपीट से चुटैल की मृत्यु हुयी है। वादी मुकदमा ने रंजिशन झूठी रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत करा दी है। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त सहअभियुक्तों के साथ मिलकर द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध वादी की लड़की की शादी में बारात के समय बग्गी की लाईट की डोरी कट जाने, लाईट चले जाने पर बारातियों ने इरशाद से बग्गी की लाईट जोड़ने को कहने पर आवेदक सहित सहअभियुक्तगण ने वादी के रिश्तेदार सागर को गाली देते हुए लाठी-डंडों से मारपीट कर चोटें कारित करने, जिस कारण मजरूब सागर की ग्वालियर अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु होने का आरोप है। उसको जमानत पर रिहा करने पर वह वादी व साक्षीगण को डरायेगा, धमकायेगा तथा साक्ष्य को मिटाने का प्रयास कारित करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

सुना एवं पुलिस प्रपत्रों तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

5. पुलिस प्रपत्रों एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध वादी की लड़की की शादी में बारात के समय बग्गी की लाईट की डोरी कट जाने, लाईट चले जाने पर बारातियों ने इरशाद से बग्गी की लाईट जोड़ने को कहने पर आवेदक सहित सहअभियुक्तगण ने वादी के रिश्तेदार सागर को गाली देते हुए लाठी-डंडों से मारपीट कर चोटें कारित करने, जिस कारण मजरूब सागर की ग्वालियर अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो जाना अभिकथित है। बहस दौरान तर्क दिया गया है कि मामले में अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, विलम्ब का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं वादी के बयान में अन्तर्विरोधाभास है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं होना बताया है, जबकि तथाकथित घटना भीड-भाड़ वाले क्षेत्र की होना अंकित है, जहाँ सैकड़ों लोगों का होना, परिजन का होना स्वाभाविक है। यह भी तर्क दिया है कि पुलिस द्वारा विवेचना में किसी भी अभियुक्त का कोई स्पष्ट रोल अंकित नहीं किया गया है, किस अभियुक्त के द्वारा चुटैल के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गयी है। यह भी तर्क दिया है कि फर्द बरामदगी मे किसी भी स्वतन्त्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। अभियोजन द्वारा यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर चुटैल को जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी हो। घटना दिनांक 23.11.2025 समय 11.10 पीएम बजे की होना अंकित है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार मामले में मजरूब की मृत्यु करीब 46 घण्टे बाद ईलाज दौरान दिनांक 25.11.2025 को 10.00 पीएम बजे होना अंकित है। मामले में पूर्व में धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना हाजा में मुकदमा करीब 18 घण्टे बाद पंजीकृत होना उल्लिखित है, जबकि अभियोजन द्वारा गंभीर चोटें बतायी जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का०सं० 13क में *Injury is caused by hard and blunt force or surface* होना अंकित है तथा पोस्टमार्टमकर्ता की राय में *Cause of death in this case is head injury. All the injuries are ante-mortem in nature. Duration of death is within 24hrs since postmortem examination.* अंकित है। एफआईआर के अवलोकन से एफआईआर में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि मजरूब को विशेष रूप से किस अभियुक्त ने किस हथियार से मजरूब के शरीर के किस भाग पर किस प्रकृति की चोट कारित की। थाने की आख्या अनुसार आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 26.11.2025 से गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके जेल में निरुद्ध रहने से उसके मन-मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया

जा सकता। प्रकरण में विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचना समाप्त कर आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 08.01.2026 को प्रेषित किया जा चुका है, जिससे निकट भविष्य में ट्रायल होने की संभावना प्रतीत नहीं होती।

6. अतः उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुये व गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **इमरान** उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री नूरमुहम्मद खां की ओर से मु०अ०सं०-304/2025 अन्तर्गत धारा- 115(2), 351(3), 352, 105 बीएनएस, थाना जखौरा, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 174/2026 **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 1,00,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू(जिसमें से एक परिवार के सदस्य का हो) संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि अनुरूप दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है-

1- आवेदक/अभियुक्त, इस आशय की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि साक्षीगण के साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित आने पर कोई स्थगन याचित नहीं करेगा, इस शर्त के उल्लघंन पर परीक्षण न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जमानत का दुरूपयोग मानते हुये विधि अनुसार आदेश पारित करेगा।

2- आवेदक/अभियुक्त, परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3- आवेदक/अभियुक्त, परीक्षण न्यायालय में परीक्षण प्रारंभ होने, आरोप विरचित किये जाने तथा दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन कथन लिपिबद्ध किये जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने पर तथा जमानत का दुरूपयोग किये जाने पर परीक्षण न्यायालय विधि अनुसार कार्यवाही करेगा।

4- आवेदक/अभियुक्त ऐसा कोई समान प्रकृति का अपराध नहीं करेगा, जिसका उसके विरूद्ध पूर्व से अभियोग दर्ज है।

5- आवेदक/अभियुक्त, वादी को डरायेगा, धमकायेगा नहीं न ही उसके परिवार के किसी भी सदस्य अथवा गवाहों को डराने, धमकाने व प्रताड़ित करने आदि का प्रयास करेगा।

(सुनील सिंह)

दिनांक- **16.03.2026**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.)
ललितपुर।